संक्षेप में

ओएनजीसी में अरुणांशु निदेशक नियुक्त

सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल ऐंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) को अपने नए ऊर्जा, पेट्रोरसायन और कॉरपोरेट रणनीति विभाग के लिए नया निदेशक मिल गया है। यह कदम कंपनी में नयी जान फूंकने के लिए बोर्ड में किए जा रहे फेरबदल का हिस्सा है। ओएनजीसी ने शेयर बाजार को बताया कि अरुणांशु सरकार को रणनीति और कॉरपोरेट मामलों के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पदोन्नति से पहले वह ओएनजीसी में समूह महाप्रबंधक (उत्पादन) थे। उन्होंने ओएनजीसी की विदेशी निवेश इकाई ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) में महाप्रबंधक (रणनीति और कॉरपोरेट योजना) के रूप में भी काम किया है। *भाषा*

रिन्यू एनर्जी टू की पवन ऊर्जा परियोजना चालू

जेएसडब्ल्यू एनर्जी की अनुषंगी की सहायक कंपनी जेएसडब्ल्यू रिन्यू एनर्जी टू लिमिटेड ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 300 मेगावॉट का पवन ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। कंपनी ने बयान में कहा कि आईएसटीएस (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली) से जुड़ी पवन ऊर्जा परियोजना को भारतीय सौर ऊर्जा निगम (सेकी) द्वारा चरण-10 में ठेका दिया गया। कंपनी ने बताया कि यह सेकी के लिए कंपनी द्वारा शुरू किया गया पहला नया पवन ऊर्जा संयंत्र है। नव-स्थापित पवन ऊर्जा परियोजना नवीकरणीय ऊर्जा खंड में महत्वपूर्ण योगदान देगी तथा हरित एवं पर्यावरण अनुकूल भविष्य के दृष्टिकोण को समर्थन प्रदान करेगी। तमिलनाडु के धारापुरम में स्थित सेकी ट्रांच एक्स के अंतर्गत आवंटित अतिरिक्त 150 मेगावॉट पवन क्षमता भी पूर्ण होने के करीब है। *भाषा*

लिवप्योर का 10 लाख ग्राहक बनाने का लक्ष्य

पानी शुद्ध करने वाली (वाटर प्यूरीफायर) कंपनी लिवप्योर अपने जल-सेवा मॉडल पर बड़ा दांव लगा रही है। कंपनी के प्रबंध निदेशक राकेश कौल ने कहा है कि कंपनी का लक्ष्य अगले चार साल में 10 लाख से अधिक ग्राहक बनाना है और कंपनी पूरे भारत में स्वच्छ और शुद्ध पानी तक सस्ती पहुंच बढ़ाने के प्रयासों को तेज कर रही है। *भाषा*

सवाल जवाब

शहरों में सर्विस आउटलेटों पर दबाव नहीं, हो रहा पूरा उपयोग

देश में कई प्रमुख कार विनिर्माता मंदी से जूझ रहे हैं। लेकिन महिंद्रा ऐंड महिंद्रा (एमऐंडएम) ने घरेलू बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 20.4 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज करते हुए इस रुझान को दरकिनार किया है। उसकी बिक्री अप्रैल से अगस्त की अवधि में बढ़कर 2,09,148 तक हो गई है। एमऐंडएम के वाहन अनुभाग के मुख्य कार्य अधिकारी नलिनीकांत गोलागुंटा ने दिल्ली में दीपक पटेल को बातचीत में बताया कि अपने सर्विस आउटलेटों पर बढ़ते बोझ से निपटने के लिए एमऐंडएम उत्पादकता बढ़ा रही है, बे क्षमता का विस्तार कर रही है और रिमोट सॉफ्टवेयर अपडेट जारी कर रही है। प्रमुख अंश ...

पिछले कुछ महीनों के दौरान कुल यात्री मांग में कमी आई है। अलबत्ता एमऐंडएम और टोयोटा जैसी कंपनियां वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि अगले साल भी वृद्धि की यह रफ्तार जारी रहेगी?

हमने अनुमान लगाया है कि इस साल यूवी (यूटिलिटी व्हीकल) श्रेणी के भीतर हम 13 से 19 प्रतिशत के बीच में मध्य से अधिक स्तर की वृद्धि देखेंगे। त्योहारी सीजन हमारे लिए अपेक्षाकृत अच्छा रहने की उम्मीद है। हमारे मामले में अधिक आधार का असर भी इस साल के आखिर में खत्म होने की कगार पर आ सकता है, लेकिन इससे पूरे अनुमान पर असर पड़ने वाला नहीं है।

आप अपने खुदरा चैनल का विस्तार किस तरह करना चाहते हैं?

मैं इस सवाल को दो भागों में बांटना चाहता हूं। एक बिक्री खुदरा चैनल है और फिर एक सेवा नेटवर्क चैनल है। यह भी काफी महत्वपूर्ण है, खास तौर पर एक्सयूवी 3एक्सओ (जिसे अप्रैल में पेश किया गया) जैसे मॉडल के लिए। इस बात की काफी संभावना है कि 3एक्सओ ग्राहक की मुख्य कार होगी। इसलिए सर्विस उसी दिन की जानी चाहिए। इस वजह से हम किसी भी शहरी क्षेत्र में अपने बड़े ग्राहक आधार के पांच से सात किलोमीटर के दायरे में मौजूद रहने के लिए काम कर रहे हैं। हम इस साल लगभग 150 से 200 आउटलेट (खुदरा के साथ-साथ सर्विस आउटलेट) जोड़ेंगे और पिछले साल के मुकाबले इनकी संख्या लगभग 15 प्रतिशत तक बढ़ाएंगे। अभी कंपनी के पास 1,370 बिक्री आउटलेट और 1,100 सर्विस वर्कशॉप हैं।

कुछ ऐसे वाहन विनिर्माता, जिनकी बिक्री पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ी है, उन्हें अब अपने सर्विस नेटवर्क पर दबाव दिख रहा है। क्या आप भी वह दबाव देख रहे हैं? या यह विस्तार बस वह दबाव कम करने के लिए है?

मैं इसे दबाव नहीं कहूंगा। लेकिन हम यह देखने लगे हैं कि सर्विस वर्कशॉप की क्षमताओं का पूरा उपयोग किया जाने लगा है। हम दो-तीन काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला है उत्पादकता बढ़ाना और दूसरा है मौजूदा वर्कशॉप में बे क्षमता का विस्तार। तीसरा, 3एक्सओ और थार रॉक्स जैसे नए वाहनों के मामले में ग्राहक को डीलरों के पास बार-बार आने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट ऑन एयर (दूरस्थ स्थान से) प्रदान किया जाएगा।

क्या आपने इस बात का आकलन किया है कि अगर आप सर्विस वर्कशॉप में ये व्यवस्था प्रदान करेंगे, तो ग्राहकों के आने की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी?

ग्राहकों की तुलना में होने वाली गिरावट की भरपाई बिक्री में वृद्धि से हो जाएगी। यह जरूरी नहीं है कि हम सर्विस के लिए आने वाले ग्राहकों की कुल संख्या में गिरावट पर विचार करें क्योंकि डीलर का कारोबार भी उसी पर निर्भर करता है। अलबत्ता हम इस बात पर नजर रख रहे हैं कि कोई ग्राहक वास्तव में कितनी बार शोरूम आता है और हम इसे दो अंकों (प्रतिशत) की दर से कम करना चाहते हैं।

सर्विस वर्कशॉप का पूरा उपयोग

आप कहां देख रहे हैं?

बड़े शहरी क्षेत्रों में। बेंगलूरु, दिल्ली, मुंबई में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप इन्हें ज्यादा संख्या में उभरता देखते हैं।
ऐसा इसलिए कि वहां वाहनों की संख्या बढ़ रही है। ब्रांड के तौर पर हम वास्तव में पहले से बहुत आगे निकल आए हैं। हमारी कुछ शहरी मौजूदगी थी, लेकिन हम मुख्य रूप से ग्रामीण इलाके वाले ब्रांड थे। थार, एक्सयूवी700, स्कॉर्पियो वगैरह की शुरुआत के बाद हम वास्तव में अगले स्तर पर पहुंच गए हैं। हमारे वाहन अब दिल्ली और मुंबई के सबसे शानदार इलाकों में देखे जा सकते हैं। इसलिए हम वहां (सर्विस वर्कशॉप का पूरा उपयोग) देखते हैं और यहीं पर निवेश किया जा रहा है।

क्या कंपनी अपना पूरा ध्यान एसयूवी पर रखना चाहती है या वह एमपीवी जैसी नई श्रेणी में जाना चाहेगी?

हमने चार से पांच साल पहले अपनी रणनीति बदल ली और हमने उस पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें हम वास्तव में बेहतर थे। एसयूवी मूल रूप से हमारे डीएनए में है। बाजार भी उस क्षेत्र में आगे बढ़ गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अन्य क्षेत्रों को खारिज कर देंगे। निश्चित रूप से हमारे पास क्षमताएं हैं। सवाल यह है कि क्या हमें उस क्षेत्र में मैदान मार सकते हैं?

अदाणी करेगी महाराष्ट्र डिस्कॉम के साथ करार

अदाणी समूह की दो कंपनियां - अदाणी ग्रीन एनर्जी (एजीईएल) और अदाणी पावर (अदाणी पावर) ने आज ऐलान किया कि वे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) के साथ 6.6 गीगावॉट का संयुक्त बिजली खरीद समझौते करेंगी।

कंपनियों ने अपनी घोषणा में कहा कि अदाणी ग्रीन एनर्जी एमएसईडीसीएल के साथ दीर्घावधि बिजली खरीद समझौता (पीपीए) करेगी। यह पांच गीगावॉट सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए होगा। अदाणी पावर महाराष्ट्र को 1,496 मेगावॉट (नेट) थर्मल पावर की आपूर्ति के लिए दीर्घ कालिक बिजली आपूर्ति करार (पीएसए) करेगी।

एजीईएल ने कहा कि पांच गीगावॉट का पीपीए अदाणी पावर को दी गई निविदा शर्तों के तहत दिए गए रुचि पत्र के अनुसार होगा। यह सौर क्षमता 25 सालों तक 2.70 रुपये प्रति किलोवॉट प्रति घंटे की स्थिर दर पर बिजली आपूर्ति करेगी। सौर परियोजनाएं तीन वर्षों के भीतर चरणबद्ध तरीके से विकसित की जाएंगी। एजीईएल इस ऊर्जा की आपूर्ति गुजरात के कच्छ जिले में स्थित खवड़ा में अपने नवीकरणीय ऊर्जा पार्क से करेगी। अदाणी पावर महाराष्ट्र को नए 1,600 मेगावॉट के अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट से बिजली आपूर्ति करेगी, जिसे डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑन ऐंड ऑपरेट (डीपीएफओओ) आधार पर विकसित किया जा रहा है।

इस परियोजना में ईंधन की आपूर्ति शक्ति नीति के तहत कोयला लिंकिंग से होगी। अदाणी पावर एमएसईडीसीएल के साथ 25 साल के लिए पीएसए पर हस्ताक्षर करेगी और इसकी आपूर्ति ढाई साल बाद शुरू होगी।

कंपनियों ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पांच गीगावॉट की यह सौर क्षमता साल 2020 के बाद से विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा की निविदा है, जो एजीईएल की भारत में प्रमुख भूमिका को और मजबूत करती है।

नियामकीय, आपूर्ति मसलों का मेडटेक क्षेत्र की वृद्धि पर असर

अंजलि सिंह
मुंबई, 15 सितंबर

भारत के 10 अरब डॉलर के मेडटेक (चिकित्सा तकनीक) बाजार और देश में वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की क्षमता के बावजूद इस क्षेत्र में कारोबारों को बढ़ाना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। विशेषज्ञ इसके लिए कम विकसित आपूर्ति श्रृंखला, नियामकीय जटिलताओं और कौशल की कमी जैसी बाधाओं को वजह मानते हैं।

इस क्षेत्र की प्रमुख दिक्कतों में से एक है मजबूत स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला की कमी। इसे इस साल के वार्षिक स्वास्थ्य सम्मेलन 'स्केल-अप हेल्थ 2024' में उजागर किया गया था। भारतीय मेडटेक कंपनियां पुर्जा और अवयव आपूर्तिकर्ताओं की कमी से जूझ रही हैं जिससे उनकी परिचालन बढ़ाने और कीमतों पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता सीमित हो जाती है।

हेल्थियम मेडटेक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी अनीश बाफना ने इस बात पर जोर दिया कि देश को अपनी बढ़ती विनिर्माण जरूरतों को पूरा करने के लिए और ज्यादा घटक आपूर्तिकर्ताओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विकसित तंत्र के बिना घटकों के आयात से लागत बढ़ जाती है, जिससे कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

बाफना ने कहा, 'हेल्थियम में हम और ज्यादा उत्पाद बनाना चाहेंगे। लेकिन इसके लिए हमें लगभग 200 घटक आपूर्तिकर्ताओं की जरूरत होगी। भारत में घटक आपूर्तिकर्ता नहीं हैं, क्योंकि इसका तंत्र विकसित नहीं है। अगर हम इन घटकों का आयात करते हैं, तो हम उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर नहीं बेच पाएंगे।'

नियामकीय बाधाएं भी महत्वपूर्ण अड़चन हैं। मेडटेक के मामले में भारत का नियामकीय ढांचा अब भी विकसित हो रहा है, जिससे जटिल और अक्सर बदलने वाला परिदृश्य सामने आता है। कंपनियों को कई सरकारी एजेंसियों से संपर्क करना होता है और अलग-अलग मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होता है, जिसमें वक्त लगता है और यह महंगा साबित होता है।

क्रिया मेडिकल टेक्नोलॉजीज की मुख्य कार्य अधिकारी और संस्थापक अनु मोटूरी ने कहा कि हालांकि फार्मा के लिए भारतीय नियामकीय तंत्र अच्छी तरह से स्थापित है, लेकिन मेडटेक में नियमन अब भी विकसित हो रहा है। उन्होंने इस इस बात पर भी जोर दिया कि इस तरह के मानदंडों को बनाने में ज्यादा स्पष्टता और उद्योग की भागीदारी की जरूरत है।

रिलायंस रिटेल का गैर-खाद्य, सामान्य वस्तुओं पर जोर

देश की सबसे बड़ी खुदरा कंपनी रिलायंस रिटेल ने मार्जिन में सुधार के लिए अपने किराना स्टोर में गैर खाद्य और सामान्य वस्तुओं के व्यापार क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि की है।

उद्योग के अंदरूनी सूत्र ने बताया कि इस कदम से कंपनी अपने ई कॉमर्स मंच जियोमार्ट के जरिये स्थानीय बिक्री को बढ़ावा देना चाहती है। खुदरा विक्रेता जियोमार्ट के जरिये अपने स्मार्ट और स्मार्ट बाजार स्टोर को जोड़ रही है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक विविधता मिल रही है। इसके तहत रिलायंस रिटेल अब अपने स्टोर में बदलाव ला रही है और गैर-खाद्य तथा सामान्य वस्तुओं के लिए अधिक व्यापार क्षेत्र आवंटित कर रही है। यह एक ऐसा खंड है, जो किराना और परिधान जैसे अन्य खंडों की तुलना में अधिक मार्जिन देता है। *भाषा*

सोम डिस्टिलरीज का कर्नाटक में कदम

भोपाल की कंपनी सोम डिस्टिलरीज ऐंड ब्रुअरीज ने कर्नाटक बाजार में वुडपेकर प्रीमियम बियर के साथ प्रवेश किया है। यह बियर भारत की पहली ट्विस्ट कैप बियर है। कंपनी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि वह वित्त वर्ष 25 में लगभग 1,600 करोड़ रुपये की बिक्री का लक्ष्य रख रही है।

सोम डिस्टिलरीज ने कर्नाटक में वुडपेकर बियर की दो किस्में - वुडपेकर ग्लाइड, जो प्रीमियम माइल्ड बियर है और वुडपेकर क्रेस्ट जो दमदार और बोल्ड बियर है, पेश की है। इन दोनों बियर की बोतल 650 मिलीलीटर और 330 मिलीलीटर की होंगी। कैन 500 मिलीलीटर और 330 मिलीलीटर में होगी। ड्रॉट 50 लीटर और 30 लीटर में उपलब्ध है। वुडपेकर बियर की बोतल की कीमत लगभग 240 रुपये है जबकि कैन की करीब 180 रुपये (किस्म और मात्रा के आधार पर) है। *बीएस*

समक्ष नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल
नई दिल्ली बैंच 5, नई दिल्ली
सीपी(सीएए)–67 / एनडी / 2024
कम्पनी आवेदन पत्र सं. सीए(सीएए)–50 / एनडी / 2024
मामले का सन्दर्भ:
कम्पनी एक्ट 2013 के सेक्शन 230 से 232 जिसे कम्पनीज़ (समझौता, तर्क–वितर्क और समामेलन) नियम 2016 के साथ पढ़ा जाये।
एवं
मामले का सन्दर्भ:

स्प्रिंग सिटी सेण्टर (टीआरवी) प्राईवेट लिमिटेड, रजि. कार्यालय डीपीटी–103, प्राईम टॉवर, ओखला फेस–1, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली–110020	ट्रांसफेरर कम्पनी नं. 1 याचिकाकर्ता कम्पनी नं. 1
स्प्रिंग रैसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड, रजि. कार्यालय डीपीटी–103, प्राईम टॉवर, ओखला फेस–1, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली–110020	ट्रांसफेरर कम्पनी नं. 2 याचिकाकर्ता कम्पनी नं. 2
समस्त विकास लिमिटेड रजि. कार्यालय डीपीटी–103, प्राईम टॉवर, ओखला फेस–1, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली–110020	ट्रांसफेरर कम्पनी नं. 3 याचिकाकर्ता कम्पनी नं. 3

याचिका की सुनवाई की सूचना
माननीय नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल नई दिल्ली बैंच 5, नई दिल्ली के समक्ष एक संयुक्त याचिका कम्पनी एक्ट 2013 के सेक्शन 230 से 232 के तहत स्प्रिंग सिटी सेण्टर (टीआरवी) प्राईवेट लिमिटेड एवं स्प्रिंग रैसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के समस्त विकास लिमिटेड में समामेलन के आदेश हेतु दाखिल की गई है। जिसका नं. सीपी(सीएए)–67 / एनडी / 2024 (याचिका) है और माननीय नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल ने 27.08.2024 के अपने आदेश के द्वारा जिसकी सुनवाई की अगली तारीख 15.10.2024 निश्चित की है।
कोई भी व्यक्ति जो इस याचिका का समर्थन या विरोध करना चाहता है वह याचिकाकर्ता कम्पनीज के एडवोकेट को जिसका पता नीचे दर्ज है, अपनी मंशा व्यक्त करते हुए स्वयं या अपने एडवोकेट के माध्यम से अपने नाम, हस्ताक्षरो एव पते के साथ लिखित रूप से माननीय नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल नई दिल्ली बैंच 5, नई दिल्ली, ब्लॉक नं. 3, भूतल, 6, 7 एवं 8 वी मंज़िल, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 को सुनवाई की नियत तारीख से पूर्व तक भेज सकते है। जहाँ उसे याचिका के विरोध या समर्थन के आधारों को व्यक्त करने का शपथ–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
आवश्यकता होने पर कोई भी व्यक्ति याचिकाकर्ता कम्पनी के एडवोकेट के माध्यम से याचिका की कॉपी, निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त कर सकता है।
हस्ताक्षर
दिनांक : 16.09.2024 — याचिकाकर्ता कम्पनी के एडवोकेट
स्थानः नई दिल्ली — सुहास फुटिग और शौर्य आदित्य
एडवोकेट्स

पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U74899DL1951NPL001947
पंजीकृत कार्यालयः पीएचडी हाउस 4/2 सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया
अगस्त क्रांति मार्ग नई दिल्ली–110016
दूरभाष सं.: 91–11–49545454
वेबसाइटः www.phdcci.in ईमेलः managingcommittee@phdcci.in

119th वार्षिक आम बैठक की सूचना और ईमेल अपडेट

यह सूचना दी जाती है कि पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ('चेंबर') के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') मंगलवार, 8 अक्टूबर, 2024 को शाम 5:00 बजे (IST) भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली–110001 में हाइब्रिड मोड (अर्थात, दोनों फिजिकल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ('ओएवीएम')) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यह बैठक कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य सर्कुलर संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022, 10/2022 और 09/2023 के प्रावधानों के तहत होगी, जो क्रमशः 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 8 दिसंबर 2021, 14 दिसंबर 2021, 5 मई 2022, 28 दिसंबर 2022 और 25 सितंबर 2023 को जारी किए गए थे (जिन्हे सामूहिक रूप से 'एमसीए सर्कुलर' कहा जाता है) जिसमें इस एजीएम सूचना में दर्शाये गए विषयों को संचालित किया जाएगा।
चेंबर ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ('सीडीएसएल') को रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली ('ई–वोटिंग') की सुविधा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है। सदस्य www.evotingindia.com पर शेयरधारकों/सदस्यों के लॉगिन का उपयोग करके रिमोट ई–वोटिंग क्रेडेंशियल्स के माध्यम से इसका उपयोग कर सकते हैं।
एमसीए सर्कुलरों के अनुसार, एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनकी ईमेल आईडी चेंबर के साथ पंजीकृत है। एजीएम की सूचना चेंबर की वेबसाइट www.phdcci.in और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगी।
सदस्य हाइब्रिड मोड के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने और भाग लेने का तरीका नोटिस में दिया जाएगा। हाइब्रिड मोड के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए गिना जाएगा।
ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट करने का तरीकाः
वे सदस्य जिन्होंने अपने ईमेल पते को चेंबर के साथ पंजीकृत/अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संपर्क विवरणों के साथ PHDCCI के सीईओ व महासचिव, डॉ. रंजीत मेहता को sg@phdcci-in पर और PHDCCI की कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी, सुश्री सुनीता रावत को managingcommittee@phdcci-in पर ईमेल भेज कर पंजीकृत / अपडेट करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
कृते पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
हस्ता/–
स्थानः दिल्ली — (डॉ. रंजीत मेहता)
तारीखः 16 सितंबर 2024 — सीईओ व महासचिव

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
एमजीएफ प्लाजा शाखा – दि प्लाजा मॉल, महरौली, गुड़गाँव मार्ग, गुड़गाँव – 122001, दूरभाष : 0124–2578855, ईमेल :– mgfplaza.delhincr@bankofindia.com

परिशिष्ट–IV [नियम – 8(1)] अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **बैंक ऑफ इंडिया** के **प्राधिकृत अधिकारी** के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, निम्न वर्णित उधारकर्ता(ओं) को खातों के समक्ष अंकित तथा यहां इसमें इसके उपरांत निम्न तालिका में उल्लेखित तिथि को धारा 13(2) के अंतर्गत एक मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ता(ओं) को बकाया राशि का, उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।
उधारकर्ता(गण) राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा उधारकर्ता(ओं) तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम (8) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, खाता के समक्ष यहां निम्नांकित तिथि को, अधिग्रहण कर लिया है।
उधारकर्ता(ओं) को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, एक निर्धारित बकाया राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु **बैंक ऑफ इंडिया, एमजीएफ प्लाजा शाखा** के प्रभाराधीन होगा।
उधारकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

उधारकर्ता, गारंटर एवं बंधककर्ता का नाम	मांग सूचना की तिथि	अधिग्रहण की तिथि	मांग सूचना की तिथि के अनुसार बकाया राशियां	अचल संपत्ति का विवरण
उधारकर्ता(गण) : श्री अरुण यादव, श्रीमती नर्मदा यादव, श्री अक्षय यादव तथा श्री भानु प्रताप यादव	29.06.2024	13.09.2024	रु. 26,98,467.53 एवं राशि पर ब्याज, बैंक द्वारा वहनकृत मासिक शेषों के साथ 11.35% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धिकृत भावी ब्याज तथा समस्त शेषों एवं लागतों, शुल्कों तथा व्ययों के साथ।	फ्लैट सं. ई–9 से समाविष्ट संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो टॉवर ई, सुरभि सीजीएचएस, हुडा सिटी के समीप, मेट्रो स्टेशन, गुड़गाँव, हरियाणा – 122009 में स्थित, अरुण यादव तथा नर्मदा यादव के

स्वामित्वधारण तथा अधिग्रहण में, निवासी– फ्लैट सं. ई–9, टॉवर ई, सुरभि सीजीएचएस, हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन के समीप, गुड़गाँव, हरियाणा – 122009 में स्थित तथा **निम्नानुसार परिसीमित है :– उत्तर–** रोड से नीचे / खुला स्थान, **पूर्व–** रोड से नीचे / खुला स्थान, **पश्चिम–** रोड से नीचे/ खुला स्थान, **दक्षिण–** प्रवेश / फ्लैट सं. डी–9
तिथिः 13–09–2024 — स्थानः गुरुग्राम — प्राधिकृत अधिकारी

आनंद राठी
आनंद राठी ग्लोबल फाइनैंस लिमिटेडः
एक्सप्रेस जोन, ए विंग, 10वीं मंजिल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ओबेराय मॉल के तिरछा विपरीत, गोरेगाँव (ई), मुम्बई 400 063 भारत
मांग सूचना

चूंकि, यहां नीचे उल्लेखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों ने आनंद राठी ग्लोबल फाइनैंस लिमिटेड से वित्तीय सहायता हासिल की है। हमलोग यह उल्लेख करते हैं कि वित्तीय सहायता हासिल करने के उपरांत, कर्जदारों/सह-कर्जदारों ने नियत तिथियों के अनुरूप ब्याज तथा मूलधन की राशि चुकता करने में कई बार विफल हो चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशावलियों/दिशानिर्देशों के अनुपालन के तहत यहां नीचे उल्लेखित संबंधित तारीखों को खाते को अनर्जक सम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। आनंद राठी ग्लोबल फाइनैंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन यहां नीचे उल्लेखित संबंधित तारीखों को मांग सूचनाएं जारी की है, जिसमें नीचे उल्लेखित कर्जदारों/गिरवीदाताओं को सूचनाओं की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित रकम के साथ सूचनाओं में उल्लेखित रकम पर अनुबंधकीय दर पर आगे के ब्याज तथा भुगतान की तारीख तक आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क इत्यादि की रकम चुकता करने को कहा गया है।

कर्जदार/सह-कर्जदारों का नाम/पता	एनपीए की तारीख	बकाया रकमः रु. 66,86,597/-	
(1) मैसर्स सिंह ऑटो इंडस्ट्रीज (कर्जदार) ● आरजेड-सी-80/2, गली नं. 6बी, 7बी मेन रोड कमला पार्क, पालम कॉलोनी, साऊथ वेस्ट दिल्ली-110045 ● 5ए केएच नं.55/10, महारानी एक्सटेंशन, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 **(2) श्री विनेश कुमार भदौरिया (सह-कर्जदार)** ● आरजेड-सी-80/2, गली नं. 6बी, 7बी मेन रोड कमला पार्क, पालम कॉलोनी, साऊथ वेस्ट दिल्ली-110045 ● 5ए केएच नं. 55/10, महारानी एक्सटेंशन, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 **(3) श्री कमलेश सिंह (सह-कर्जदार)** ● आरजेड-सी-80/2, गली नं. 6बी, 7बी मेन रोड कमला पार्क, पालम कॉलोनी, साऊथ वेस्ट दिल्ली-110045 ● 5ए केएच नं. 55/10, महारानी एक्सटेंशन, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 **(4) श्री अविनाश सिंह भदौरिया (सह-कर्जदार)** ● आरजेड-सी-80/2, गली नं. 6बी, 7बी मेन रोड कमला पार्क पालम कॉलोनी, साऊथ वेस्ट दिल्ली-110045 ● 5ए केएच नं. 55/10, महारानी एक्सटेंशन, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059	02/09/2024 **मांग सूचना की तारीख** **09/09/2024** **ऋण रकम** रु. 67,50,000/- APPL00000398	आरओआई मूल बकाया लंबित ईएमआई रकम खंडित अवधि ब्याज अतिदेय ब्याज कानूनी शुल्क सूचना शुल्क ईएमआई बाउंस शुल्क **कुल बकाया**	12.50% 6,281,466 322,784 6,543 39,604 6,500 1,100 28, 600 **66,86,597**

प्रत्याभूत सम्पत्ति का विवरणः सम्पत्ति सं. आरजडे-सी-80/2, खसरा नं. 303 एवं 304, ग्राम-नसीरपुर, कमला पार्क, नई दिल्ली-110045। **पूर्व मेंः** गली 8 फीट, **पश्चिम मेंः** अन्य की सम्पत्ति, **उत्तर मेंः** 20 फीट चौड़ी सड़क, **दक्षिण मेंः** अन्य की सम्पत्ति।
ऊपर उल्लेखित परिस्थितियों के अनुसार, एतद्द्वारा ऊपर उल्लेखित कर्जदारों को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर ऊपर उल्लेखित बकाया रकम के साथ भविष्य के ब्याज तथा लागू शुल्कों की रकम चुकता करने हेतु सूचित की जाती है, अन्यथा इस सूचना की तारीख से 60 दिनों की समाप्ति के उपरांत प्रत्याभूत सम्पत्तियों के विरुद्ध आगे की कार्यवाही की जाएगी, जिसमें प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) तथा उसके अंतर्गत लागू नियमों के अधीन कर्जदारों तथा गिरवीदाताओं की प्रत्याभूत सम्पत्तियों पर कब्जा किया जाना शामिल है। आप अगर इस सूचना के प्रत्युत्तर में कोई भी अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो हमें समय पर उसका जवाब देनें में सक्षम बनाने के लिए आप उसे हमारे अधिकृत अधिकारी श्री अभिषेक चंद, आनंद राठी ग्लोबल फाइनैंस लिमिटेड, आठवीं मंजिल, "ए" विंग, एक्सप्रेस जोन बिल्डिंग, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे रोड, गोरेगाँव (ईस्ट), मुंबई-400063 के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि इस सूचना के प्रत्युत्तर में आपके द्वारा किए गए अभ्यावेदन को अन्य किसी भी व्यक्ति अथवा स्थान के पते पर किए जाने पर हमारी ओर से आपके अभ्यावेदन का प्रत्युत्तर नहीं देने के लिए हमलोग जिम्मेदार नहीं होंगे। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अधीन कोई भी कर्जदार प्रत्याभूत ऋणदाता की लिखित पूर्व सहमति के बगैर सूचना में संदर्भित अपनी प्रत्याभूत सम्पत्तियों की बिक्री, पट्टे अथवा अन्य किसी भी रूप में हस्तांतरित नहीं कर पाएंगे।
दिनांकः 09/09/2024 । स्थानः नई दिल्ली — हस्ता/-, आनंद राठी ग्लोबल फाइनैंस लिमिटेड, अधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक सूचना
इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सोनीपत फर्नीचर एंड हैड एम्ब्रायडरी क्राफ्ट ड्रिनसर कंपनी लिमिटेड ने श्री दीपक राज के स्वामित्व वाली संपत्ति के खिलाफ फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में ऋण के लिए आवेदन किया है, जिसका पता है- निर्मित संपत्ति संख्या WZ-33A, खसरा संख्या 90/4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 और 89/16, 17, 24, 25 में से 100 वर्ग गज भूमि क्षेत्र, स्थित ग्राम हस्तसाल की राजस्व संपदा, दिल्ली क्षेत्र की आबादी, जिसे कॉलोनी दयाल सार रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 के नाम से जाना जाता है, पंजीकृत त्याग विलेख दिनांक 05/09/2024 को पंजीकरण संख्या 2024/25/आई/24283, पुस्तक संख्या I, खंड संख्या 12505, पृष्ठ संख्या 79 से 90 पर, एसआरओ-पश्चिम जनकपुरी में 05/09/2024 को पंजीकृत किया गया। श्री दीपक राज के पक्ष में श्रीमती अलका गौड़ द्वारा निष्पादित नई दिल्ली। इस ऋण पर किसी को भी इस पर कोई आपत्ति है बंधक 7 दिनों (प्रकाशन दिवस सहित) के भीतर विशिष्ट लिखित आपत्तियों के साथ अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकता है अन्यथा यह माना जाएगा कि इस बंधक पर कोई आपत्ति नहीं है।
वरुण फोगाट (एडवोकेट)
72/03, गली नं. 2, कृष्णा नगर,
सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली- 110029
(07982557892) (varunphogaat@gmail.com)

उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक
आपकी उम्मीद का खाता
(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)
अंचल कार्यालय/शाखा : 9बी, पूसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली, पिन कोड-110060
पंजीकृत कार्यालय : उत्कर्ष टॉवर, एनएच-31 (एयरपोर्ट रोड), सेहमालपुर, काजी सराय, हरहुआ, वाराणसी, उ.प्र.-221 105.

अचल सम्पत्ति हेतु कब्जा सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में, अधिकृत प्राधिकारी ने यहां इसके पश्चात उल्लिखित प्रत्येक खाते के सम्मुख तिथियों पर कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए एक मांग सूचना जारी की थी।
कर्जदारों द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा अधोलिखित कर्जदारों को को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित तिथियों पर कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य को सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है, और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार यहां नीचे प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित राशि तथा उस पर ब्याज के लिए **उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के प्रभार का विषय होगा।
प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	शाखा का नाम	खाते का नाम	कर्जदार/जमानती का नाम (सम्पत्ति के स्वामी)	मांग सूचना की तिथि	कब्जा करने की तिथि	मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि
1	रुड़की	अब्दुल कादिर जलीखा पुत्री जमीरा खाता नम्बर 137106000 0000452	श्री अब्दुल कादिर पुत्र तालिब (कर्जदार) सुश्री जलीखा पत्नी अब्दुल कादिर (सह-कर्जदार/बंधककर्ता)	22-05-2024	11-09-2024	₹ 7,10,958/-

संपत्ति/यों का विवरणः आवासीय संपत्ति मकान का समस्त भाग, माप खसरा संख्या-243एम डीड संख्या-5838 दिनांक 30.10.20218, बही संख्या-1, जिला आईडी संख्या-2950, पृष्ठ संख्या-293 से 312, कुल क्षेत्रफल 3384 वर्ग फीट यानि 314.7 वर्ग मीटर, ग्राम- बहादरपुर खादर, पोस्ट- लक्सर, तहसील- लक्सर, जिला- हरिद्वार, उत्तराखंड- 247663. संपत्ति की सीमा - पूर्वः मुख्य सड़क रुड़की लक्सर उत्तरः संपत्ति अब्दुल कादिर पश्चिमः जय चंद की भूमि दक्षिणः सुनील का प्लॉट।
ह./–
तिथि : 16.09.2024 — अनिल शर्मा (अधिकृत प्राधिकारी)
स्थान : हरिद्वार — उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

दिल्ली संस्करण : बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा द इंडियन एक्सप्रेस (प्रा) लिमिटेड, ए-8, सेक्टर-7, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301, उ.प्र. से मुद्रित एवं नेहरू हाउस, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नईदिल्ली से प्रकाशित
संपादक : कैलाश नौटियाल आरएनआई नं. DELHIN/2008/27804 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स - 033-22101599
सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशन्स बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेंचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013 ईमेल.. subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं